अंचल अधिकारी ....कुडू........ का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 622/2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19.07.2016

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा- ......परमपुर...... थाना- ......कुडू...... खाता संख्या–......42...... प्लॉट संख्या– .... रकबा ......0.21...... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या- ......I...... के पृष्ठ संख्या–......36...... पर जमाबंदी रैयत ......ल.बा.वा. मुण्डा...... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोल्हकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 05.08.16 को उपस्थापित करें।

लिखवाया एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

19.07.16

अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
07.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत ललवा मुण्डा पिता भगत मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं0 001876 वर्ष 2015–16 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा पदमपुर, थाना नं0 168 के सर्वे खतियान में खाता सं0 42 , रकबा 0.21 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में भाग II के पृष्ट सं0 36 खाता सं0 42, रकबा 0.21 एकड़ भूमि ललवा मुण्डा पिता भगत मुण्डा के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। बंदोबस्ती पंजी में भी दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा पदमपुर थाना नं0 168 खाता सं0 42, रकबा 0.21 एकड. भूमि ललवा मुण्डा पिता भगत मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा पदमपुर, थाना नं0 168 खाता सं0 42, रकबा 0.21 एकड़ भूमि ललवा मुण्डा पिता भगत मुण्डा की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	